10

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1109-एक/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-5-2001 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील

1- मुस0सकुन्तला देवी पत्नि स्व. किशोरीलाल बाह्मण
2- सुश्री पुष्पलता पुत्री स्व. किशोरीलाल बाह्मण
3- शिवराम प्रसाद पुत्र स्व. किशोरीलाल बाह्मण
4- सुश्री सुमनलता पुत्री स्व. किशोरीलाल बाह्मण
5- सुश्री कंचनलता पुत्री स्व. किशोरीलाल बाह्मण
6- श्रीकुमार नावालिक पुत्र स्व. किशोरीलाल बाह्मण
सरपरस्त मॉ मुस0सकुन्तला देवी
सभी निवासी ग्राम उमरी तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- विकमकुमार माकिन पुत्र नन्दलाल माकिन
पन्ना रोड उमरी सतना मेसर्स विकम आटो
मोवाइल सतना जिला सतना
2- मेसर्स एस.के.कहान एण्ड सन्स सतना
व्दारा सुनीलकुमार जौहर पुत्र राजीन्द्र रना जौहर
मुख्त्यारआम सिविल लाइन कटनी जिला कटनी ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक)

(अनावेदकगण की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक -11 - 01 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख (व्यपवर्तन) सतना को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके व्दारा ग्राम उमरी की भूमि सर्वे कमांक 325/2 रकबा 0.16, सर्वे नंबर 334/2 रकबा 0.05 , सर्वे नंबर 335/2 रकबा 0.02, सर्वे कमांक334/1/1/2 रकबा 0.07, सर्वे कमांक 335/1/1/2 रकबा 0.07 कुल किता 5 कुल रकबा 0.37 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) विकय पत्र दिनांक 20-9-1993 से कय की है , विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख (व्यपवर्तन) सतना ने प्रकरण कमांक 61 अ-6/1992-93 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 13-1-1994 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क-1 का नामान्तरण कर दिया । आवेदकगण ने इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 218/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-12-2000 से सहायक अधीक्षक भू अभिलेख (व्यपवर्तन) सतना का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश को निरस्त करते हुये सहायक अधीक्षक भू अभिलेख (व्यपवर्तन) सतना के आदेश दिनांक 13-1-1994 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। उपलब्ध

अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का प्र0क0 218/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनॉक 21-12-2007 प्रत्यावर्तन आदेश है एंव प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 197/2000-01 प्रस्तुत हुई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 से अपील स्वीकार की गई। क्या प्रत्यावर्तन आदेश (Rimand Order) के विरूद्ध अपील प्रचलन-योग्य एंव स्वीकार-योग्य है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 46 में व्यवस्था दी गई है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील बर्जित है। **जब पक्षकारों के किसी अधिकार का विनिश्चय न हो और मामला जांच के लिये लौटाया गया हो तो आदेश अन्तरिम है (चन्द्रिकाप्रसाद विरूद्ध म0प्र0राज्य 1970 रा.नि.217 एंव रेवाराम विरूद्ध हरप्रसाद 1967 रा.नि. 453 से अनुसरित)** इसी प्रकार **हीरालाल विरूद्ध ताराबाई 1965 रा.नि. 298 एंव बलराम विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी. 1967 रा.नि. 431 में व्यवस्था दी गई है कि यदि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील की जाती है और निर्णीत की जाती है तो निर्णय अधिकारिता रहित है।** अतएव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 5-5-2001 में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि आवेदकगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं है एंव अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष उन्होंने पक्षकार बनने का आवेदन नहीं दिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि वाधित अपील ग्राह्य की है । इन तथ्यों पर विचार किया गया। स्थिति यह है कि यह दायित्व अनावेदकगण का था कि वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तदाशय की आपत्ति उठाते और जो आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं उठाई गई, ऐसी आपत्ति अपीलीय न्यायालय में नहीं उठाई जा सकता। (विष्णुप्रसाद विरूद्ध रामसिंह 1987 रा.नि. 234 का दृष्टांत है कि प्रथम अपील में विलम्ब को आक्षेपित नहीं किया गया। द्वित्तीय अपील

अथवा पुनरीक्षण में विलम्ब के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती) (तेजप्रताप सिंह विरुद्ध गुलाब सिंह 1983 रा.नि. 298 में प्रतिपादित है कि अपील की ग्राह्यता पर अपीलीय न्यायालय में आपत्ति नहीं की गई , उसके बाद की अपील/निगरानी में ऐसी आपत्ति नहीं की जा सकती) अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 5-5-2001 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है । अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने आदेश दिनॉक 21-12-2007 पारित करके समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर एंव साक्ष्य का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है फलस्वरूप दोनों पक्षों के पास मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव अपना अपना दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त होगा, किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 5-5-2001 पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 197/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-5-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 218/1994-95 अपील में पारित (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश दि. 21-12-2000 को यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर